

माननीय न्यायमूर्ति वी. के. बाली, जे के समक्ष

बलवंत सिंह, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदाता

1997 का C.W.P सं. 16337

30 नवंबर, 1999

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II-रूल्स. 2.2 (a), 3.17-A, 4,19 (A) और 4,19 (B)- 22 नवंबर, 1991 के निर्देश-याचिकाकर्ता ने विभिन्न सरकारी विभागों में 13 साल से अधिक की सेवा प्रदान की-याचिकाकर्ता ने नगरपालिका समिति में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से इस्तीफा दे दिया-प्रोबेशन की अवधि के दौरान एम. सी. की सेवा से छुट्टी-22 नवंबर, 1991 के निर्देशों के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार याचिकाकर्ता-पेंशन के दावे को केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है-रिट की अनुमति देते हुए, प्रतिवादीगण को, याचिकाकर्ता को, देय पेंशन निर्धारित करने का निर्देश देने की अनुमति दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया, कि याचिकाकर्ता 8 नवंबर, 1963 को जिला परिषद में शामिल हुआ और 30 नवंबर, 1973 तक जिला परिषद का कर्मचारी बना रहा। इसके बाद उसे स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त कर दिया गया और वे 2 फरवरी, 1977 तक उक्त विभाग में कार्यरत रहे। उन्होंने नगर समिति, शाहबाद मारकंडा में एक कार्यभार संभालने की अनुमति के साथ स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता ने सेवा से इस्तीफा दे दिया हो और वह सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के अनुदान का हकदार न हो। यह विवादित नहीं है कि 22 नवंबर, 1991 के निर्देशों के आधार पर याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार है।

(पैरा 11 और 15)

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने पहली बार 12 जनवरी, 1995 को अधिकारियों से संपर्क किया, जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनके दावे को 10 जुलाई, 1997 को खारिज कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाने में कोई समय नहीं गंवाया। इसके अलावा, पेंशन का दावा कार्रवाई का एक

आवर्ती कारण है और इसे केवल देरी पर ही खारिज नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने विभिन्न सरकारी विभागों में 14 साल से कुछ कम समय तक काम किया। प्रतिवादीगण को नियमों के अनुसार उन्हें देय पेंशन निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता, अंशदायी भविष्य निधि, यदि कोई हो, को वापस करने के लिए बाध्य है।

(पैरा 16 और 17)

एम. एम. कुमार, वकील सतबीर सिंह के साथ, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

नितिन कुमार, डी. ए. जी., पंजाब, प्रतिवादीगणों के लिए

निर्णय

वी. के. बाली, जे. (मौखिक)

(1) बलवंत सिंह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका के माध्यम से, प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग करते हैं ताकि 10 जुलाई, 1997 के आदेश, अनुलग्नक पी-6, को रद्द किया जा सके-जिसके तहत उन्हें, अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना/गणना के लिए, जिला परिषद के तहत प्रदान की गई सेवा का लाभ नहीं दिया गया था।

(2) वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्यों का आवश्यकतः उल्लेख करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता को 8 नवंबर, 1963 को जिला परिषद, अंबाला में सैनिटरी दारोगा के रूप में नियुक्त किया गया और यह उनका मामला है कि उन्होंने 30 नवंबर, 1973 तक वहां काम किया। 1973 के हरियाणा अधिनियम संख्या 22 के अनुसार सभी मौजूदा जिला परिषदों को समाप्त कर दिया गया और कर्मचारियों सहित सभी देनदारियों को हरियाणा सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। नतीजतन, याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य विभाग में शामिल कर लिया गया और 1 दिसंबर, 1973 को, सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य सभी लाभों के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में स्वच्छता दारोगा के रूप में तैनात किया गया। हालाँकि, जिला परिषद में, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा, पेंशन के लिए योग्य नहीं थी, क्योंकि पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने 2 फरवरी, 1977 तक, अपने अवशोषण के बाद, एक स्थायी कर्मचारी के रूप में सैनिटरी दारोगा के पद पर काम करना जारी रखा। वहाँ तीन साल लगातार सेवा करने के बाद, उन्हें सिविल सर्जन, सिविल अस्पताल, अंबाला, प्रतिवादी संख्या 3 को, अपना इस्तीफा सौंपने के

लिए विवश होना पड़ा। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उस स्तर पर भी याचिकाकर्ता को कोई पेंशन स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने इन परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दे दिया ताकि वे स्वच्छता निरीक्षक, नगर समिति, मंडी डबवाली के पद पर नियुक्त हो सकें, जिसके लिए उन्हें चुना गया था। याचिकाकर्ता का इस्तीफा बिना शर्त स्वीकार कर लिया गया था-14 अप्रैल, 1977 के पत्र, अनुलग्नक पी-2 के माध्यम से, 3 फरवरी, 1977 से प्रभावी। उपरोक्त तरीके से, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसने 13 साल की अवधि के लिए स्थायी कारांचारी कए रूप में सेवा प्रदान और इस प्रकार, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के अनुदान के हकदार थे।

(3) याचिकाकर्ता 22 नवंबर, 1991 के निर्देशों के आधार पर पेंशन की पात्रता का दावा करता है, जो पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लाभ बढ़ाने में, इस न्यायालय के एक फैसले के अनुसार अस्तित्व में आया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने, संबंधित अधिकारियों से, उन्हें, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के अनुदान में तेजी लाने के लिए कई अनुरोध किए, लेकिन जब इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और वास्तव में जब उनका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया, -आदेश अनुलग्नक पी-6 के माध्यम से, वर्तमान रिट याचिका, पहले से उल्लिखित राहतों के लिए, दायर की गई।

(4) इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के पश्चात, प्रतिवादीगण ने जवाब दाखिल किया है। प्रतिवादीगण 1 से 3 की ओर से दायर, लिखित बयान में यह अनुरोध किया गया है कि, वर्तमान रिट याचिका संधार्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक/संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है; कि रिट याचिका समयसीमा से वर्जित है; कि याचिकाकर्ता ने 2 फरवरी, 1977 को इस्तीफा दे दिया था, जिसे 14 अप्रैल, 1977 को स्वीकार कर लिया गया था; कि रिट याचिका 20 साल की देरी के बाद दायर की गई है। इसके बाद यह अनुरोध किया जाता है कि, याचिकाकर्ता, पंजाब सिविल सेवा नियम, के रूल 3.17(ए), खंड-II (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित),के अनुसार, नियम 4.19 (ए), के साथ पढे जाने पर, किसी भी पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता के दावे को नकारने के लिए जिन नियमों पर निर्भरता रखी गई है, वे इस प्रकार हैं:-

3.17 A(d) "दुराचार, दिवालियापन, अक्षमता, उम्र के कारण नहीं, हटाने पर, या निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता के लिए, लोक सेवा से इस्तीफा, या बर्खास्तगी पर, पूर्व में दी गयी सेवा को, पंजाब सिविल सेवा नियम, 4.19 (ए), खंड II. के अनुरूप जब्त कर लिया जाएगा।

4.19 (a) संविधान के अनुच्छेद, 311 (2) के परंतुक (c) के तहत, तोड़फोड़, जासूसी आदि जैसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए, बरखास्त या हटाना, या गैर-आचरण, दिवालियापन, आयु से अतिरिक्त किसी ओर कारण से अक्षमता, या निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता के लिए, लोक सेवा से इस्तीफा देने पर, पूर्व में दी गयी सेवाओं का जब्त होना मन जाएगा और ऐसे में कोई पेंशन प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) याचिकाकर्ता के मामले का, इस आधार पर भी विरोध किया गया है, कि याचिकाकर्ता सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद, स्वास्थ्य विभाग का एक अस्थायी कर्मचारी था। याचिकाकर्ता के मामले को, इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि, जब याचिकाकर्ता इस्तीफे के बाद स्वच्छता निरीक्षक के पद पर आया था, तो सरकार के किसी अन्य विभाग में शामिल होने की अनुमति भी नहीं ली थी और इसलिए, नियम 4,19 (बी) के तहत, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी लाभ के अनुदान का हकदार नहीं होगा।

(6) याचिकाकर्ता ने, लिखित बयान में की गई, दलीलों का विरोध करते हुए, प्रतिकृति दायर की है।

(7) जब यह मामला पहले 13 अगस्त, 1999 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, तो याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वत वकील श्री एम. एम. कुमार ने बहस के दौरान याचिकाकर्ता का एक हलफनामा दायर करने के उद्देश्य से स्थगन की मांग की, कि उन्होंने नई नौकरी में शामिल होने के लिए, नियोक्ता की अनुमति से, इस्तीफा दिया था। अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है, जिसका जवाब राज्य द्वारा दिया गया है।

(8) याचिकाकर्ता, अतिरिक्त हलफनामे में दलील देता है कि, वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अंबाला के कार्यालय में सैनिटरी दारोगा के पद पर काम कर रहा था। नगर समिति, शाहबाद मारकंडा में, स्वच्छता निरीक्षक के पद का विज्ञापन समाचार पत्र में दिया गया था। वह पात्र थे और उन्होंने उचित माध्यम के द्वारा इसके लिए आवेदन किया। उनका आवेदन, अंबाला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नगर समिति, शाहबाद मार्कंडा को विधिवत भेजा गया था। 21 जनवरी, 1977 को उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, इस आशय का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया, कि यदि याचिकाकर्ता को स्वच्छता निरीक्षक के रूप में चुना जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की प्रति, अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ, अनुलग्नक पी-

7 के रूप में, संलग्न की गई है। यह भी अनुरोध किया गया है कि, स्वच्छता निरीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने 3 फरवरी, 1977 को, ड्यूटी में शामिल होने से पहले, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अंबाला को विधिवत सूचित कर दिया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अंबाला, के कार्यालय द्वारा, प्रस्थान रिपोर्ट, विधिवत प्राप्त की गई थी। उसी की प्रति अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ अनुलग्नक पी-8 के रूप में संलग्न की गई है।

(9) इस अतिरिक्त हलफनामे के जवाब में, राज्य द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि, सिविल सर्जन, अंबाला के कार्यालय से अपना इस्तीफा जमा करने के बाद, याचिकाकर्ता नगर समिति, शाहबाद मार्कंडा की सेवा में स्वच्छता निरीक्षक के रूप में शामिल हो गया था, जहाँ से उसकी सेवाओं को, गंभीर कदाचार के लिए, समाप्त/छुट्टी दे दी गई थी। याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के संबंध में प्रशासक, नगर समिति, शाहबाद द्वारा पारित, 31 मार्च, 1978 के प्रस्ताव की प्रति को, अनुबंध आर-IV/टी के रूप में, रिकॉर्ड पर रखा गया है। इस प्रकार, यह अनुरोध किया गया है कि, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और वह नियमों के नियम 2.2 (ए) के अनुसार पेंशन लाभ का हकदार नहीं था। यह भी अनुरोध किया जाता है कि अतिरिक्त हलफनामे, यानी, अनुलग्नक पी-7, के साथ दायर, प्रमाण पत्र, मनगढ़ंत न जाली प्रतीत होता है। यह कहा गया है की, अंबाला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जारी, अनुभव प्रमाण पत्र, की सत्यापित प्रति में, अलग भाषा का प्रयोग है। याचिकाकर्ता द्वारा, पहले प्रस्तुत, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति को उत्तर के साथ, अनुलग्नक आर-वी के रूप में संलग्न किया गया है।

(10) पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वत वकीलो को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, अदालत का विचार है कि, याचिकाकर्ता, वर्तमान रिट याचिका में उसके द्वारा मांगी गई राहत का हकदार है। यद्यपि, याचिकाकर्ता को, पेंशन लाभों के लिए हकदार बनाने वाले मामले के गुण-दोषों पर विचार करने से पहले, जहां तक, गंभीर दुराचार के लिए, याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के संबंध में, प्रतिवादी-राज्य की याचिका का संबंध है, वहां तक रास्ता साफ करना बेहतर होगा, क्योंकि यदि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जैसा कि राज्य का तर्क है, वह किसी भी सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार नहीं हो सकता है। इस स्तर पर यह याद किया जा सकता है कि, यह याचिकाकर्ता का सकारात्मक मामला था कि, उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान, सेवा से छुट्टी दे दी गई थी। जिस आदेश द्वारा

याचिकाकर्ता को सेवा से छुट्टी दी गई थी, जैसा कि उसका तर्क है, या सेवा से बर्खास्तगी, जैसा कि राज्य का तर्क है, अतिरिक्त हलफनामे के जवाब के साथ, अनुलग्नक आर-IV/टी के रूप में संलग्न किया गया है। यह सच है कि आदेश के पहले भाग, अनुलग्नक आर-IV/टी में, याचिकाकर्ता के काम और आचरण के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल हैं, लेकिन अंतिम विश्लेषण में यह देखा गया कि याचिकाकर्ता का काम, आचरण और व्यवहार संतोषजनक नहीं था और इसलिए उसे नगर समिति की सेवा से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। यह आगे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता परिवीक्षा पर है। आदेश अनुलग्नक आर-IV को, अपने अवलोकन से ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया हो। याचिकाकर्ता का यह तर्क, कि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान पद छोड़ने के लिए कहा गया था, वास्तव में सही है, और राज्य द्वारा दिए गए आदेश यानी अनुलग्नक आर-IV के अनुरूप है।

(11) ऊपर दिए गए विस्तृत तथ्यों से यह पता चलता है कि, याचिकाकर्ता 8 नवंबर, 1963 को जिला परिषद में शामिल हुआ और 30 नवंबर, 1973 तक जिला परिषद का कर्मचारी बना रहा। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त कर दिया गया और वे 2 फरवरी, 1977 तक उक्त विभाग में कार्यरत रहे। इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने, *रिसाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य¹ मामले में* निर्णय दिया कि, जिला बोर्ड, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं। रिसाल सिंह के मामले में, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह भी देखा गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं को वास्तव में, 26 नवंबर, 1973 से राज्य सरकार की सेवा में शामिल किया गया था, और उसके बाद वे सेवानिवृत्त हो गए थे, तो वे उसी शर्तों पर सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे, जो 22 नवंबर, 1991 के अंतिम जापन में किए गए थे। इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि, इससे पहले, इस न्यायालय ने कहा था कि जिला बोर्ड, जिला परिषद आदि के कर्मचारी, जिन्हें अन्य सरकारी नौकरियों में शामिल किया गया था, वे सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के हकदार होने चाहिए। इसके बाद 22 नवंबर, 1991 (अनुलग्नक आर-3) के निर्देश अस्तित्व में आए। यह विवादित नहीं है कि इन निर्देशों के आधार पर याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार है।

(12) मामला वहाँ समाप्त हो जाता, लेकिन चूंकि प्रतिवादी-राज्य, याचिकाकर्ता

¹ 1993 (2) R.S.J. 545

के इस्तीफे और अनुमति के बाद, नए विभाग में शामिल होने के संबंध में मुद्दे में शामिल हो गया है, इसलिए उक्त प्रश्न अभी भी निर्धारित किया जाना है।

(13) इस स्तर पर यह याद किया जा सकता है कि, याचिकाकर्ता ने, यह साबित करने के लिए स्थगन की मांग की थी कि, जब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने नए विभाग में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अनुलग्नक पी-7 में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता 8 नवंबर, 1963 से 30 नवंबर, 1973 तक जिला परिषद में और 1 दिसंबर, 1973 से आज तक स्वास्थ्य विभाग में स्वच्छता दारोगा के रूप में काम कर रहा था और वह हरियाणा सरकार का एक नियमित कर्मचारी था। यह आगे कहा गया है कि यदि उन्हें स्वच्छता निरीक्षक के रूप में चुना गया तो कोई आपत्ति नहीं थी। यह प्रमाण पत्र 21 जनवरी, 1977 को जारी किया गया था। इस स्तर पर, यह दोहराया जा सकता है कि, याचिकाकर्ता 3 फरवरी, 1977 को नगर समिति, शाहबाद मार्केड में स्वच्छता निरीक्षक के रूप में शामिल हुए थे। इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को, केवल इस आधार पर विवादित किया गया है कि, इसमें उपयोग की जाने वाली भाषा, अनुलग्नक आर-वी में, उपयोग की जाने वाली भाषा से अलग है और इसलिए, याचिकाकर्ता ने, अनुलग्नक पी-7, प्रमाण पत्र, प्राप्त किया होगा।

(14) मुझे विद्वत राज्य वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है। राज्य द्वारा जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है, वह केवल एक अनुभव प्रमाण पत्र है, जैसा कि अनुलग्नक आर-वी से ही स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। यह साहसिक शब्दों 'अनुभव प्रमाणपत्र' से शुरू होता है। इन शब्दों को रेखांकित किया गया है और इसके बाद यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 8 नवंबर, 1963 से 30 नवंबर, 1973 तक जिला परिषद के तहत और 1 दिसंबर, 1973 से 2 फरवरी, 1977 तक, स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वच्छता दारोगा के रूप में काम किया था। अनुलग्नक आर-वी और अनुलग्नक पी-7 में कोई अंतर नहीं है, जहां तक की, याचिकाकर्ता का या तो सैनिटरी दारोगा के पद पर या स्वास्थ्य विभाग में सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर अनुभव संबंधित है। अंतर केवल, याचिकाकर्ता के स्वच्छता निरीक्षक के रूप में शामिल होने पर 'कोई आपत्ति नहीं' के संबंध में है। यह अंतर होना चाहिए था, क्योंकि अनुलग्नक आर-वी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल एक अनुभव प्रमाण पत्र है। दस्तावेज़ अनुलग्नक आर-वी, याचिकाकर्ता के 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने, या न करने, के संबंध में नहीं है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वत वकील, श्री कुमार, ने मुझे, अनुलग्नक पी-7, का मूल दिखाया है और उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अंबाला द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

नियमों, के नियम 4.19 (बी) में कहा गया है:-

“4.19 (b) किसी अन्य नियुक्ति, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से गणना की जाती है, को उचित अनुमति के साथ लेने के लिए नियुक्ति का त्यागपत्र, लोक सेवा का त्यागपत्र नहीं है।”

(15) वर्तमान मामले में यह साबित होता है कि, याचिकाकर्ता ने नगर समिति, शाहबाद मारकंडा में एक कार्यभार संभालने की अनुमति के साथ स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता ने सेवा से इस्तीफा दे दिया हो और वह सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के अनुदान का हकदार नहीं होगा। यह *मामला रेस इंटेगरा नहीं है*, क्योंकि, नियम 4,19 (बी) की व्याख्या, इस *न्यायालय द्वारा, एम. एम. लाई बरेजा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*², में की गई है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, राज्य सरकार में अस्थायी पद धारण करने वाले कर्मचारी को भी पेंशन देय है, और नियम, उस व्यक्ति को भी पेंशन देने के दायरे में रखते हैं, जिसने दूसरी नियुक्ति करने के लिए सेवा से इस्तीफा दे दिया है, और, इस तरह के इस्तीफे को लोक सेवा से इस्तीफे के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(16) याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करने में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले, विद्वत वकील, श्री नितिन कुमार, द्वारा उठाया गया अंतिम तर्क, वर्तमान याचिका दायर करने में देरी के संबंध में है। यह सच है कि याचिकाकर्ता ने पहली बार 12 जनवरी, 1995 को अधिकारियों से संपर्क किया, जब उन्होंने अनुलग्नक पी-3 का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनके दावे को, 10 जुलाई, 1997 को खारिज कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने, इस अदालत का दरवाजा खटखटाने में, कोई समय नहीं गंवाया। इसके अलावा, पेंशन का दावा कार्रवाई का एक आवर्ती कारण है, और इसे अकेले देरी के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैंने ऊपर जो अवलोकन किया है, वह इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, विभिन्न *निर्णयों से समर्थित* है। यद्यपि, *केवल श्रीमती बिमला देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*³, का उल्लेख किया जा सकता है।

(17) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि, याचिकाकर्ता ने विभिन्न सरकारी विभागों में 8 नवंबर, 1963 से 2 फरवरी, 1977 तक लगातार काम किया, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है। उपरोक्त तरीके से, याचिकाकर्ता ने 14 साल से थोड़ी कम अवधि तक के लिए काम किया। प्रतिवादीगण को नियमों के अनुसार उन्हें देय पेंशन निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है। यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि, निर्देश अनुलग्नक आर-3 के अनुसार, याचिकाकर्ता

² 1995 (1) A.I.J. 532

³ 1991 (5) S.L.R. 682

अंशदायी भविष्य निधि, यदि कोई हो, को वापस करने के लिए बाध्य है। यदि उसी का भुगतान उन्हें किया गया था, जैसा की, श्री कुमार, याचिकाकर्ता के इसे प्राप्त करने के तथ्य के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो याचिकाकर्ता द्वारा उसे वापस कर दिया जाएगा। इस स्तर पर, श्री कुमार ने मेरा ध्यान उन निर्देशों की ओर आकर्षित किया है, जो कहते हैं कि, इस तरह की राशि, यानी अंशदायी, भविष्य निधि को उपदान के बदले, समायोजित किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी-राज्य, याचिकाकर्ता को, पहले से ही भुगतान की गई राशि में कटौती करेगा और आज से छह सप्ताह के भीतर शेष राशि का भुगतान कर देगा।

(18) केस की इन विचित्र परिस्थितियों में, वादियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा